न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 169/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/287)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हरदेव सिंह पुत्र बिकर सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		1. देवेन्द्र सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर।
2. बेअन्त सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		2. रणजीत सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर।
		3. चरणजीत कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर।
		4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 30.08.2024

उपस्थित: 1. श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रोशन लाल राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

—निर्णय—

दिनांक:04.11.2024

1. संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 3 डब्ल्यू के खाता संख्या 4/33, 46, 47 में नहरी मय खाला कृषि भूमि राजस्व अभिलेख मे वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। चक 7 डब्ल्यू के खाता संख्या 34, 56, 57 में नहरी मय खाला कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव व परिवार जान पहचान के सदस्यगण है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज है, लेकिन वादीगण ने प्रतिवादीगण ने अपनी अपनी सुविधो के अनुसार भूमि का बंटवारा कर रखा है तथा उसी के अनुसार भूमि पर शांतिपूर्वक, निरंतर, निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चले आ रहे है। वादीगण बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि में फसल काश्त करते है, लेकिन उक्त भूमि मुताबिक काश्त के अनुसार दर्ज नही है। रकबा का बंटवारा व काश्त के अनुसार भूमि का अंकन नही होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने कब्जा व काश्त के अनुसार हिस्सा का अन्य प्रतिवादीगण से, अपने नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि दर्ज करवाने चाहते है और इसी कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। भूमि कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने के कारण वादीगण न ही उसमें कोई नयी सुविधा प्राप्त कर सकते है। इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर, कई बार आग्रह किया गया कि हम सहमति से भूमि का विभाजन करवा लेते है, लेकिन पक्षकारान अन्यंत्र जगह पर होने का, कार्य में व्यस्त होने का व अन्य घरेलू परेशानियो का हवाला देते रहते है और वादीगण के साथ सहमति प्रकट नही कर रहे है। आज से दस रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण को पुनः निवेदन किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब उनका नही रहा है। इस कारण वादीगण को उनके विरूद्व वादहेतुक उत्पन्न हुआ। आज से 5 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 3 डब्ल्यू के खाता संख्या 4, 46, 47 एवं चक 7 डब्ल्यू के खाता संख्या 34, 56, 57 में नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादीगण को बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशन लाल राठौड उपस्थित आए। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। नकल वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। जिसके अनुसार वादीगण का उक्त वादपत्र स्वीकार किया जाता है, तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम सहमति का है। जवाब स्टेट बन्द है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को वादीगण का वादपत्र व वादीगण को प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादीगण के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भली-भांति सावित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र केसरीसिंहपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 04/33, 46/38, 47/39 व राजस्व ग्राम 7 डब्ल्यू, पटवार हल्का रामगढसंगर, भू.अ.नि. क्षेत्र लखियां, की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 34/34, 56/56, 57/57 में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	हरदेव सिंह पुत्र विजय सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (3.607 हैक्टेयर) बेअन्त सिह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (5.573 हैक्टेयर)	7 डब्ल्यू	33	1 ता 4	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.92
				5	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.00
				6	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.01
				7 ता 14	2.024 हैक्टेयर	नहरी	17.84
				15	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.01
				16	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.01
				17 ता 24	2.024 हैक्टेयर	नहरी	17.84
				25	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.00
			43	1/1	0.215 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				2 ता 4	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.69
				7/1	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
				8/2	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
				9	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.23
				10/1	0.215 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				11/2	0.215 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				12	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.23
				19	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.23
				20/1	0.215 हैक्टेयर	नहरी	1.90
				21/2	0.161 हैक्टेयर	नहरी	1.42
				22	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67
			48/48		0.127 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2	हरदेव सिंह पुत्र विजय सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (3.746 हैक्टेयर) बेअन्त सिह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (5.109 हैक्टेयर)	3 डब्ल्यू	40	3 ता 8	1.518 हैक्टेयर	नहरी	13.50
				13 ता 18	1.518 हैक्टेयर	नहरी	13.50
				23 ता 25	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
			44	6	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				15	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				16	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
			45	1 ता 15	3.795 हैक्टेयर	नहरी	33.75
				16	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				17	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

	[illegible] सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (0.966 हैक्टेयर) रणजीत सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (1.238 हैक्टेयर) चरणजीत कौर पत्नी मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (4.260 हैक्टेयर)	3 डब्ल्यू	28	18	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				19	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				20	0.122 हैक्टेयर	नहरी	1.11
				[illegible]	1.316 हैक्टेयर	नहरी	11.[illegible]
				14	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.2[illegible]
				15/1	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
				15/2	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				16, 17	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.46
				24	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.78
				25	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.78
			44	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				9 ता 12	1.012 हैक्टेयर	नहरी	8.92
				19, 20	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.46
				21	0.189 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				22	0.189 हैक्टेयर	नहरी	1.67
			37	17, 18	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.46
				22	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				23	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67
				24	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.67
			48/23		0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			48/19		0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
4	देवेन्द्र सिह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (0.966 हैक्टेयर) रणजीत सिंह पुत्र मनजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (1.238 हैक्टेयर) चरणजीत कौर पत्नी मनजीत सिह जाति जटसिख निवासी 4 ओ तहसील श्रीकरणपुर। (4.260 हैक्टेयर)	3 डब्ल्यू	46	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				3	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				4	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.02
				5	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				6 ता 25	5.060 हैक्टेयर	नहरी	45.00
			44	16	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				24/4	0.038 हैक्टेयर	नहरी	0.34
			45	16	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				17	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				18	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				19	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				20	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				21 ता 25	1.265 हैक्टेयर	नहरी	11.25
			57/23		0.126 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर